6|3|18 वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8|3|18 को पेश हो।

8|3|18 वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पादवादी मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(2)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

हरविन्द्र सिंह पुत्र अजायबसिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादी

बनाम

1. अजायबसिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. स्वर्णजीत कौर पुत्री अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 360 सन् 2017
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादिया
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 व 2

निर्णय **दिनांक :–08.03.2018**

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे 2.441 है0 मय गैरमुमकिन व इसी चक के खाता सं. 51/02 मे 0.632 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के दादा स्व. तारासिंह की भूमि थी जो उनकी मृत्यु होने के पश्चात विरासतन हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 अजायब सिंह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी को जन्म से अधिकार हासिल है। चूंकि उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का घरूबंटवारा कर लिया है मुताबिक घरूबंटवारा वादी को चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 भूमि मे से 1.265 है0 भूमि प्राप्त हुई है तथा घरूबंटवारा के रोज से काबिज रह कर बिना किसी रोक टोक के वादी अपनी हक व हिस्सा की भूमि पर काश्त कर रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। अतः घोषणा की जावे कि वादी चक 27 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 मे से 1.265 है0 भूमि का खातेदारी काश्तकार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर श्री सुरेन्द्र सिहाग विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी

सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। (3)

उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे 2.441 है0 मय गैरमुमकिन व इसी चक के खाता सं. 51/02 मे 0.632 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के दादा स्व. तारासिंह की भूमि थी जो उनकी मृत्यु होने के पश्चात विरासतन हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 अजायब सिंह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी को जन्म से अधिकार हासिल है। चूंकि उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का घरूबंटवारा कर लिया है मुताबिक घरूबंटवारा वादी को चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 भूमि मे से 1.265 है0 भूमि प्राप्त हुई है तथा घरूबंटवारा के रोज से काबिज रह कर बिना किसी रोक टोक के वादी अपनी हक व हिस्सा की भूमि पर काश्त कर रहा है। मुताबिक अनुतोष वादी को चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 भूमि मे से 1.265 है0 भूमि का खोतदार काश्तकार घोषित किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे 2.441 है0 मय गैरमुमकिन व इसी चक के खाता सं. 51/02 मे 0.632 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के दादा स्व. तारासिंह की भूमि थी जो उनकी मृत्यु होने के पश्चात विरासतन हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 अजायब सिंह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी को जन्म से अधिकार हासिल है। उक्त वादग्रस्त भूमि का घरूबंटवारा कर लिया है मुताबिक घरूबंटवारा वादी को चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 भूमि मे से 1.265 है0 भूमि प्राप्त हुई है। मुताबिक अनुतोष वादी को चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 भूमि मे से 1.265 है0 भूमि का खोतदार काश्तकार घोषित किये जाने मे प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति एतराज जाहिर नही किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वादपत्र मे मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध चाहा गया है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

का आपस मे राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 38/45 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.441 है0 भूमि मे से 1.265 है0 भूमि का खोतदार काश्तकार है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner